श्री नीतीश कुमार
माननीय मुख्यमंत्री

बिहार सरकार

श्री कपिलदेव कामत
माननीय मंत्री

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

वार्षिक प्रतिवेदन 2019–20

वार्षिक कार्यक्रम 2020–21

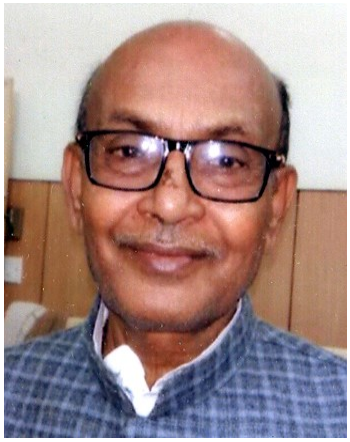

प्रस्तावना

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में चहुमुखी विकास के लक्ष्य की प्राप्ति में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की केन्द्रीय भूमिका के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा दायित्वों, निधि एवं मानव बल की उचित व्यवस्था की जा रही है।

2. राज्य सरकार ने अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को शक्तियों का विकेन्द्रीकरण करते हुए संस्थाएँ प्रभावी तरीके से अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें, इसके लिए अनुकूल प्रशासनिक व्यवस्था की जा रही है।

3. राज्य की तीनों स्तर की पंचायती राज संस्थाओं को भारत सरकार एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं में निधि सुगमतापूर्वक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, त्वरित गति से हस्तांतरित की जा रही है। पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधियों एवं सम्बद्ध कर्मियों के सतत् प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सभी 38 जिलों में जिला पंचायत संसाधन केन्द्र की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस वित्तीय वर्ष में सभी जिलों में जिला पंचायत संस्थान केन्द्र के भवन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। साथ ही साथ मानव बल की भी स्वीकृति दी गई है।

4. त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं द्वारा पंचायती राज विभाग के नेतृत्व में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना का पूरी जिम्मेदारी के साथ वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के माध्यम से कार्यान्वयन किया जा रहा है। विभाग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को समुचित मार्गदर्शन, दिशा–निर्देश एवं निधि की व्यवस्था करते हुए निर्धारित समय–सीमा में लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रेरित किया जा रहा है।

5. राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के कार्यालय भवन की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु पंचम राज्य वित्त आयोग की निधि से भवनों के रख–रखाव सुदृढ़ीकरण एवं सूचना प्रावैधिकी क्षमता विकास का प्रावधान किया गया है। ग्राम पंचायत स्तर पर सभी पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से पंचायत सरकार भवनों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जा रही है। राज्य की 8387 कुल ग्राम पंचायत में से अब तक 3200 पंचायत सरकार भवनों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, जिसमें से 1386 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं शेष कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है।

6. महोदय, सदन को यह अवगत कराते हुए मुझे संतोष हो रहा है कि अब पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कार्य ग्राम पंचायतों द्वारा स्वयं किया जा रहा है। इसके अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। राज्य सरकार की यह योजना है कि चरणबद्ध तरीके से सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत सरकार भवन की व्यवस्था कर दी जाए। पंचायत सरकार भवनों के निर्माण में एक बड़ी बाधा ग्राम पंचायत के मुख्यालय गांव में भूमि उपलब्ध नहीं होना रहा था। इस पर विचार करते हुए यह अनुमान्य किया गया है कि मुख्यालय गाँव में उपयुक्त भूमि अनुपलब्ध रहने पर ग्राम पंचायत के किसी भी ग्राम में पंचायत सरकार भवन के निर्माण हेतु उपयुक्त भूमि का चयन जिला पदाधिकारी द्वारा किया जा सकेगा।

7. इस संशोधन से अधिकांश ग्राम पंचायतों में भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित हो पा रही है।

8. राज्य सरकार ने सभी ग्राम पंचायतों में सूचना प्रावैधिकी का विकास करने तथा ई–ग्वर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए एक–एक कार्यपालक सहायक की पदस्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य की 8387 पंचायतों में से 6828 पंचायतों में कार्यपालक सहायक कार्यरत हैं। शेष पंचायतों में भी जिला पदाधिकारी द्वारा व्यवस्था की जा रही है। इन कार्यपालक सहायकों के माध्यम से पंचायतों द्वारा कार्यान्वित हो रही विभिन्न योजनाओं के अभिलेखों के रख–रखाव, अनुश्रवण एवं ऑनलाईन प्रविष्टि में काफी सहुलियत हुई है। साथ ही साथ पंचायत स्तर पर लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम के केन्द्रों का संचालन संभव हो पाया है। इस व्यवस्था से आम नागरिकों को सेवा प्राप्त करने के लिए अब प्रखंड स्तर पर जाने की आवश्यकता नहीं रह गई है। इससे जन साधारण को काफी सहुलियत हुई है।

9. राज्य सरकार ने चार पंचायत पर एक तकनीकी सहायक एवं चार पंचायत पर एक लेखापाल–सह–आई0टी0 सहायक की व्यवस्था की है। तकनीकी सहायकों के कुल स्वीकृत 2096 पदों में से 1375 पदों के विरूद्ध नियुक्ति हो चुकी है। इन सभी के पदस्थापन होने से ग्राम पंचायतों द्वारा कार्यान्वित हो रही योजनाओं का प्राक्कलन बनाने, तकनीकी पर्यवेक्षण एवं मापी में गति आ गई है।

10. ग्राम पंचायत के लेखों के उचित रख–रखाव एवं अंकेक्षण की दुरूस्त व्यवस्था के दृष्टिकोण से कुल 2096 लेखापाल–सह–आई०टी०सहायक के पद स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें

से 1578 लेखापाल–सह–आई०टी०सहायक कार्यरत हैं। इससे पंचायतों के प्रशासन में काफी सहुलियत मिल पायी है।

11. राज्य सरकार द्वारा पंचायतों के नियमित निरीक्षण को सशक्त करने के लिए प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी की संख्या में वृद्धि की है। पूर्व में प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के 528 पद थे, जिनहें बढ़ाकर 716 कर दिया गया है। साथ ही साथ बिहार पंचायत राज सेवा नियमावली में संशोधन करते हुए प्रोन्नति के बेहतर अवसर उपलब्ध कराये गये हैं, जिससे कर्मियों के मनोबल में वृद्धि हुई है। बिहार पंचायत राज अधिनियम के अन्तर्गत तीनों स्तर के पंचायती राज संस्थाओं का नियमित अंकेक्षण सुनिश्चित करने के प्रावधान के क्रम में बिहार पंचायत राज अंकेक्षण सेवा का गठन किया गया है और 373 पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को प्रेषित की जा चुकी है। तात्कालिक व्यवस्था के तौर पर सेवानिवृत अंकेक्षकों की सेवा लेकर व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है।

12. मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के अन्तर्गत पंचायती राज विभाग के माध्यम से 4291 ग्राम पंचायतों के 58313 वार्डों में योजनाओं का कार्यान्वयन हो रहा है। मुझे सदन को यह बताते हुए संतोष है कि 10 मार्च 2020 तक **39128** वार्डों में कार्य पूर्ण हो चुके हैं एवं लगभग 65 लाख परिवारों को पेयजल का कनेक्शन दिया जा चुका है। विभाग स्तर से इस योजना का अत्यंत कड़ा अनुश्रवण सुनिश्चित किया जा रहा है। सभी पेयजल योजनाओं पर सूचना प्रावैधिकी आधारित IOT Device(Internet of things) लगाया जा रहा है ताकि यह पता चल सके कि कौन सी योजना नहीं चल रही है एवं तद्नुसार सुधारात्मक कदम उठाए जा सके। इस योजना में प्रत्येक वार्ड स्तर पर अनुरक्षक का प्रावधान किया जा रहा है ताकि योजना सतत् रूप से संचालित रहे, इस हेतु दीर्घकालीन अनुरक्षण नीति बनाई गई है।

13. मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना भी पंचायती राज विभाग के माध्यम से कार्यान्वित हो रही है। इसमें कुल 114691 वार्डों में कार्य किया जाना है। जिसके विरूद्ध 10 मार्च, 2020 तक **77030** वार्डों में कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शेष वार्डों में कार्य जारी है और इसे शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा। इस योजना में प्रत्येक घर तक पक्की गली एवं नाली के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। घरों से निकलने वाले पानी के निस्तारण के लिए नालियों में सोख्ता की व्यवस्था की गई है एवं ग्रामीण इलाकों में आवश्यकतानुसार जल भंडारण संरचनाऐं बनाई जा रही हैं। गांव के गलियों में पेभर ब्लॉक के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

14. सदन को यह बताते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है कि राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों के वित्तीय सशक्तीकरण के लिए उन्हें कर/फीस लगाने की शक्तियाँ प्रदान करने पर विचार किया जा रहा है। इसके फलस्वरूप पंचायतों की वित्तीय स्थिति सशक्त होगी, जिससे पंचायतें अपनी गतिविधियों को और व्यापक कर सकेंगी।

15. राज्य सरकार त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त, समावेशी, पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनाने के लिए कृत संकल्प है।

शुभकामनाओं सहित,

(श्री कपिलदेव कामत)
मंत्री,
पंचायती राज विभाग।

पंचायती राज विभाग, बिहार

वार्षिक प्रतिवेदन

सामान्य विवरण

भारतीय संविधान के राज्य के नीति–निर्देशक सिद्धांत एवं 73वें संविधान संशोधन की भावना को मूर्त्त रूप देते हुए राज्य सरकार द्वारा बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 लागू किया गया है। 73वें संविधान संशोधन के आलोक में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने हेतु बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 अधिनियमित किया गया है एवं स्थानीय स्वशासन में आम लोगों की सहभागिता बढ़ाने, पारदर्शिता लाने, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, समाज के अत्यंत पिछड़े वर्गों तथा महिलाओं की सम्मानजनक भागीदारी सुनिश्चित करने का सार्थक प्रयास किया गया है। त्रिस्तरीय पंचायतों की सभी कोटियों में एकल पदों सहित सभी पदों पर महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। वर्तमान में 38 जिला परिषदें, 534 पंचायत समितियाँ, 8387 ग्राम पंचायतें एवं 8387 ग्राम कचहरियाँ कार्यरत हैं (परिशिष्ट–1)।

पंचायती राज विभाग में राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष 2515 एवं 4515 तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध मुख्य शीर्ष 2515, 2015 एवं 3451 के अन्तर्गत विभिन्न योजनाएँ एवं कार्यक्रम चलाये जाते हैं।

वित्तीय वर्ष 2020–21 में मांग संख्या–16 अंतर्गत राज्य स्कीम मद के मुख्य शीर्ष 2515 एवं 4515 में कुल ₹241152.00 लाख (चौबीस अरब ग्यारह करोड़ बावन लाख रुपये) मात्र तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद के मुख्य शीर्ष 2015, 2515 एवं 3451 में कुल ₹820368.65 लाख (बयासी अरब तीन करोड़ अड़सठ लाख पैंसठ हजार रुपये) मात्र की राशि का उपबंध है (विवरणी परिशिष्ट 2 एवं 3)।

2. केन्द्रीय वित्त आयोग

(क) 14वाँ वित्त आयोग

14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में भारत सरकार से राज्य की ग्राम पंचायतों के लिए वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2019–20 तक बुनियादी अनुदान (Basic Grant) के अन्तर्गत कुल ₹18916.05 करोड (एक सौ नवासी अरब सोलह करोड़ पाँच लाख रूपये) मात्र तथा कार्य निष्पादन अनुदान (Performance Grant) के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 से 2019–20 तक कुल ₹2101.78 करोड़ (इक्कीस अरब एक करोड़ अठहत्तर लाख रूपये) मात्र अर्थात कुल मिलाकर ₹21017.83 करोड़ (दो सौ दस अरब सत्रह करोड़ तिरासी लाख रूपये) मात्र की राशि वित्तीय वर्षवार निम्नरूपेण कर्णांकित की गई हैः–

(राशि–करोड़ रूपये में)

	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	कुल
बुनियादी अनुदान	2269.18	3142.08	3630.39	4199.71	5674.70	18916.05
निष्पादन अनुदान		412.15	466.41	529.67	693.55	2101.78
कुल	**2269.18**	**3554.23**	**4096.8**	**4729.38**	**6368.25**	**21017.83**

वित्तीय वर्ष 2019–20 में भारत सरकार द्वारा बुनियादी अनुदान (Basic Grant) के प्रथम एवं द्वितीय किस्त के रूप में कुल ₹5671.70 करोड़ (छप्पन अरब इकहत्तर करोड़ सत्तर लाख रूपये) मात्र की राशि उपलब्ध करायी गयी है, जिसे राज्य के सभी ग्राम पंचायतों को PFMS Portal के माध्यम से उपलब्ध करा दी गई है।

(ख) 15वें वित्त आयोग

15वें वित्त आयोग की सिफारिशें वित्तीय वर्ष 2020–21 से 2025–26 तक 5 वर्षों के लिए लागू है। 15वें वित्त आयोग द्वारा अंतरिम रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए लागू किया गया है। इसकी सम्पूर्ण रिपोर्ट 30.10.2020 को आना प्रस्तावित है। 15वें वित्त आयोग की अंतरिम अनुशंसा की सिफारिशें वित्तीय वर्ष 2021–21 के लिए लागू हैं।

15वें वित्त आयोग की अंतरिम अनुशंसा के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020–21 में राज्य की त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं (जिला परिषद्, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत) के लिए ₹5,018.00 करोड़ (पाँच हजार अठारह करोड़ रुपये) मात्र अनुदान की अनुशंसा की गई है।

15वें वित्त आयोग की अंतरिम अनुशंसा अनुसार आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान की राशि भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष जून एवं अक्टूबर में दो किस्तों में विमुक्त किया जायेगा। आयोग की यह सिफारिश है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को देय अनुदान में से 50 प्रतिशत बुनियादी अनुदान (**Untied**) होगा। इस राशि का उपयोग त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं द्वारा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय को छोड़कर उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए किया जा सकेगा।

शेष 50 प्रतिशत Tied Grant होगा जो निम्नलिखित दो मूलभूत आवश्यकताओं पर खर्च किया जा सकेगा :–

(a) स्वच्छता एवं खुले में शौचमुक्त (ODF) Status के सतत् रख–रखाव हेतु

(b) पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचयन एवं Water Recycling जल का पुर्नचक्रण

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाएँ उक्त Tied अनुदान की राशि का लगभग आधी राशि दोनों घटकों पर उपयोग कर सकेगी, परन्तु किसी एक घटक में संतृप्तता हो जाने पर अन्य घटक में उपयोग किया जा सकेगा।

15वें वित्त आयोग की अंतरिम अनुशंसा में अनुदानों की राशि के वितरण के संबंध में यह उल्लेख है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को देय अनुदान का अनुपात राज्य सरकार, राज्य वित्त आयोग की अद्यतन अनुशंसा में सुझाये गये अनुपात के आधार पर दे सकेगी। तीनों स्तरों को देय अनुदान निम्न अधिसीमा के अन्तर्गत होगा – ग्राम पंचायत 70 से 85 प्रतिशत, पंचायत समिति 10 से 25 प्रतिशत, जिला परिषद् 5 से 15 प्रतिशत।

उक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष 2020–21 से 2025–26 तक 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्रामीण स्थानीय निकायों (**RLBs**) यथा– जिला परिषदों, पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों को भारत सरकार से प्राप्त होने वाली अनुदानों की राशि के उपयोग एवं इसके वितरण के संबंध में कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 में 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में कुल ₹5,018.00 करोड़ (पाँच हजार अठारह करोड़ रुपये) मात्र की राशि का बजट उपबंध कराया गया है।

3. ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP)

भारत के संविधान के अनुच्छेद–243(छ) में आर्थिक एवं समाजिक न्याय की योजना बनाने के लिए पंचायतों को अधिदेशित किया गया है। 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा से ग्राम पंचायत का कार्य क्षेत्र अधिक विस्तृत एवं व्यापक हुआ है। स्वशासी सरकार के रूप में पचायतों से अपेक्षा है कि उनके द्वारा ग्राम पंचायत के उपेक्षित एवं सुविधाओं से वंचित आम

जनों का पहचान कर उन्हें समाजिक एवं आर्थिक विकास की सहभागितापूर्ण प्रक्रिया से जोड़ा जाए और एक उत्तरदायी व्यवस्था कायम की जाये।

उपर्युक्त आलोक में पंचायती राज विभाग द्वारा ''सबकी योजना सबका विकास'' की परिकल्पना को निहित करते हुए ग्राम पंचायत विकास योजना का कार्यान्वयन किया गया है। इसके तहत राज्य स्तर पर वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए ग्राम पंचायत के समाजिक एवं आर्थिक विकास एवं सहभागितापूर्ण प्रक्रियाओं के माध्यम से उपलब्ध संसाधनों को अभिसारित कर स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप कुल 8385 ग्राम पंचायतों के द्वारा ग्राम पंचायत विकास योजना निर्मित की गई है तथा ग्राम सभा से अनुमोदित उक्त योजनाओं को पी.ई.एस. ऐप्लिकेशन प्लान प्लस में प्रविष्ट किया गया है।

4. राज्य वित्त आयोग

(क) पंचम राज्य वित्त आयोगः

वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक 1510 दिनांक 24.02.2016 द्वारा पंचम राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें लागू है। पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य की पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिनिधायन एवं अनुदान मद में राशि उपलब्ध कराई जाती हैः–

(i) **राज्य के शुद्ध करों के अंतरण से प्राप्त प्रतिनिधायन (Devolution) मद की राशि** :– पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को प्राप्त होने वाली प्रतिनिधायन (Devolution) मद की राशि का उपयोग स्व–राजस्व (कर एवं कर से भिन्न) की वृद्धि, आंतरिक अंकेक्षण एवं ससमय लेखा प्रस्तुतीकरण, ग्राम सभा, वार्ड सभा, स्थायी समिति, सामाजिक अंकेक्षण के सुदृढ़ीकरण पर, मौजूदा सेवा एवं आधारभूत संरचना के ऑपरेशन एवं रख–रखाव, अगर किसी खास अनुदान के घटक के लिए राशि पर्याप्त नहीं है तो पूरक अनुदान के रूप में, पाईप द्वारा पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता, नाली–गली की पुरानी सुविधाओं में बदलाव एवं इनका निर्माण, BRGF एवं RGPSA की वैसी अपूर्ण योजनाएँ, जिनकी भौतिक प्रगति 60 प्रतिशत से अधिक है एवं राशि के आभाव में इन्हें पूर्ण किया जाना संभव नहीं हो पा रहा हो, को पूर्ण करने आदि में किया जा रहा है।

प्रतिनिधायन (Devolution) मद में ग्राम पंचायतों को प्राप्त होने वाली राशि का 10% उपर्युक्त कंडिका के अनुरूप तथा 90% सुशासन के कार्यक्रम 2015–20 के अन्तर्गत 7 निश्चयों में पंचायती राज विभाग से संबंधित दो निश्चयों यथा–मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना पर व्यय किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 में प्रतिनिधायन मद में प्रथम किस्त के रूप में ₹863.45 करोड़ (आठ अरब तिरेसठ करोड़ पैंतालिस लाख रूपये) मात्र की राशि त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को निम्नरूपेण उपलब्ध कराई गई हैः–

क्र०	निकाय	राशि(करोड़ में)
1	ग्राम पंचायत	₹604.42
2	पंचायत समिति	₹86.34
3	जिला परिषद्	₹172.69
कुल		**₹863.45**

द्वितीय किस्त के रूप में त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए प्रतिनिधायन मद में ₹839.13 करोड़ (आठ अरब उनचालीस करोड़ तेरह लाख रुपये) मात्र की राशि उपलब्ध कराये जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

(ii) **अनुदान के रूप में प्राप्त होनेवाली राशि** : पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान के रूप में प्राप्त होनेवाली राशि का उपयोग क्षमतावर्द्धन यथा मानव बल का प्रशिक्षण, ई–गवर्नेंस, कार्यालय की जगह, जिला परिषद् कर्मियों के बकाया वेतन, ग्राम कचहरी के कार्यालय सहायता, जिला पंचायत संसाधन केन्द्र के भवन निर्माण, अंकेक्षण शुल्क आदि हेतु किया जा रहा है। इसके अलावा, अनुदान की राशि से पंचायत समिति, जिला परिषद् के कार्यालय भवन एवं जिला परिषद् के डांक बंगलों को उपयोग के दृष्टिकोण से बेहतर बनाने, उनका रख–रखाव, फर्नीचर, IT Enablement एवं आधुनिकीकरण के कार्य भी अनुदान मद की राशि से किये जा सकेंगे।

वित्तीय वर्ष 2019–20 में अनुदान (Grant) मद में प्रथम किस्त के रूप में ₹628.42 करोड़ (छः अरब अट्ठाईस करोड़ बयालीस लाख रूपये) मात्र की राशि त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को निम्नरूपेण उपलब्ध कराई गई हैः–

क्र०सं०	निकाय/कार्यालय	राशि(करोड़ में)
1	ग्राम पंचायत	₹309.40
2	पंचायत समिति	₹44.20
3	जिला परिषद्	₹178.39
4	ग्राम कचहरी	₹41.93
5	जिला पंचायत कार्यालय	₹45.00
6	पंचायती राज विभाग	₹9.50
कुल		**₹628.42**

द्वितीय किस्त के रूप में पंचायती राज संस्थानों के लिए अनुदान मद में ₹646.12 (छः अरब छियालीस करोड़ बारह लाख रुपये) मात्र की राशि उपलब्ध कराये जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

(ख) षष्ठम् राज्य वित्त आयोगः

षष्ठम् राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा वित्तीय वर्ष 2020–21 से लागू किया जाना प्रस्तावित है। सम्प्रति इसकी अनुशंसा अबतक अप्राप्त है। इस हेतु सम्प्रति वित्तीय वर्ष 2020–21 में कुल **₹2626.22 करोड़ (छब्बीस अरब छब्बीस करोड़ बाईस लाख रूपये)** मात्र की राशि का बजट उपबंध कराया गया है।

5. बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाईटी (विश्व बैंक सहायता से पंचायती राज संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण):

विश्व बैंक की ऋण सहायता (70 प्रतिशत) एवं राज्य अंशदान (30 प्रतिशत) से 120 मिलियन यू०एस० डॉलर के सहयोग से त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के विकासात्मक एवं प्रबंधकीय क्षमता बढ़ाने, पारदर्शिता से कार्य कराने तथा कारगर ढंग से आम लोगों की साझेदारी सुनिश्चित कराने हेतु वर्ष 2012–2019 की बिहार पंचायत सुदृढ़ीकरण परियोजना अब राज्य के 12 जिलों (पटना, नालन्दा, भोजपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, गया, रोहतास, औरंगाबाद, समस्तीपुर, दरभंगा एवं मधुबनी) के 204 प्रखंडों के 3186 ग्राम पंचायतों में संचालित की गई। विश्व बैंक सम्पोषित बिहार पंचायत सुद्ढ़ीकरण परियोजना 30.12.2019 को समाप्त हो गई है।

6. मुख्यमंत्री निश्चय योजनाः

सुशासन के कार्यक्रम 2015–20 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा ''सात निश्चय'' लिये गये हैं जिनमें से दो निश्चयों का क्रियान्वयन पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा किया जा रहा है, जो निम्नवत् हैः–

(i) मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजनाः– इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पाईप द्वारा शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायतों द्वारा जलापूर्ति की छोटी–छोटी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। इसके लिए साधारणतः भौगोलिक निरंतरता को ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायतों के वार्ड को एक इकाई मान कर प्रत्येक वार्ड के लिए एक योजना ली जा रही है। ग्राम पंचायत के वार्डों में जल की इस आवश्यकता को बोरिंग, सबमर्सिवल पम्प एवं डिस्ट्रीब्यूशन पाईपलाइन के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। जल की शुद्धता एवं उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु जलस्रोत (बोरिंग) की न्यूनतम गहराई 100 मीटर रखी जा रही है। बोरिंग से सीधे पाईप लाइन के माध्यम से घरों तक जल वितरण सुनिश्चित

किया जा रहा है। इस योजना के लिए स्थानीय क्षेत्रों की आवश्यकतानुसार विभिन्न विशिष्टियों के विभिन्न प्रकार के मानक प्राक्कलन तैयार किये गए हैं। विभिन्न विशिष्टियों के अनुसार मानक प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी/प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर ग्राम पंचायतों को भेजा गया है। **स्थानीय आवश्यकता अनुसार मानक प्राक्कलन के आधार पर विशिष्ट योजनाओं का प्राक्कलन तैयार कर क्रियान्वित किया जा रहा है।** मानक प्राक्कलन लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार की सहायता से तैयार की गई है। निश्चय योजनाओं में हो रही अनियमितताओं के रोकथाम हेतु उच्च स्तरिय बैठक द्वारा दिशा–निर्देश में संशोधन किये गये हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजनाओं के कार्यान्वयन में वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति (WIMC) द्वारा कोटेशन के आधार पर भी प्राक्कलन के विभिन्न अवयवों का अवयववार कार्यान्वयन कराया जा सकेगा। विशिष्टयों के अनुसार गुणवत्ता युक्त कार्य पूर्ण होन के उपरांत कनीय अभियंता द्वारा मापी पुस्तिका में दर्ज मापी के आधार पर ही भुगतान करने का प्रावधान है। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना में **39128 वार्डों** में पेयजल योजनाओं का कार्यान्वयन पूर्ण किया जा चुका है, जिसके फलस्वरूप लगभग 65 लाख घरों को शुद्ध नल का जल मिल पा रहा है। इस योजना को वित्तीय वर्ष 2019–20 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

(ii) मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजनाः– इस योजना अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम के अन्तर्गत बसावटों को सम्पर्कता एवं ग्राम के अन्तर्गत गली–नाली का पक्कीकरण हेतु ग्राम पंचायतों द्वारा ईंट सोलिंग, पेभर ब्लॉक एवं पी०सी०सी० गली निर्माण (नाली के साथ) की छोटी–छोटी योजनाएं चरणबद्ध रूप से क्रियान्वित की जा रही है। ग्राम पंचायत क्षेत्रों की स्थानीय भौगोलिक परिस्थियों, यथाः– मिट्टी का प्रकार, पानी की निकासी, आदि कारकों को ध्यान में रखते हुए अलग–अलग क्षेत्रों के अनुरूप गली–नाली निर्माण हेतु विभिन्न विशिष्टियों के विभिन्न प्रकार के मानक प्राक्कलन तैयार किये गए हैं। मानक प्राक्कलनों की तैयारी में ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार की सहायता ली गई है। इस योजना में आवश्यकतानुसार भू–अर्जन की भी व्यवस्था की गई है। हर घर को पक्की गली–नाली से जाड़ने के निश्चय का कार्यान्वयन तीव्र गति से चल रहा है। अब तक **77030 वार्डों** में कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय प्रबंधन राज्य योजना मद की राशि के अतिरिक्त चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में प्राप्त होने वाली अनुदान की राशि एवं पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्राम पंचायतों को प्राप्त होनेवाली प्रतिनिधायन की राशि एवं अन्य केन्द्रीय/राज्य योजनाओं के साथ अभिसरण कर की जा रही है।

मुख्यमंत्री निश्चय योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2020–21 में ₹100000.00 लाख (दस अरब रूपये) मात्र की राशि का प्रावधान किया गया है।

7. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना (RGSA):

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के क्षमतावर्द्धन क दृष्टिकोण से **''राजीव गाँधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान''** केन्द्र प्रायोजित योजना वर्ष 2013–14 से बिहार राज्य से लागु की गई है। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा 2015–16 हेतु RGPSA को केन्द्र सहायता सूची से Delist कर दिया गया था, किन्तु माह जुलाई, 2015 में पुनः कुछ प्रस्तावित मदों के अन्तर्गत इस योजना को संचालित रखने के लिए निदेश पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त हुए है। माह 24 अप्रैल 2018 से योजना का नाम प्ररिवर्तित कर ''राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना'' किया गया। इस योजना का मुख्य उदेश्य पंचायती राज संस्थाओं का सशक्तीकरण, मानव संसाधन सूचना प्रौधौगिकी सुविधा के सुढृढ़ीकरण, क्षमतावर्द्धन, ढ़ांचा का विकास, राज्य निर्वाचन आयोग के आधुनिकीकरण का प्रावधान किया गया है।

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए संशोधित वार्षिक कार्य योजना हेतु कुल ₹76.24 करोड़ की राशि का बजट सी.ई.सी. द्वारा अनुमोदित की गई है।

उक्त योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2019–20 में क्षमतावर्द्धन ईकाई के अन्तर्गत ग्राम पंचायत विकास योजना निर्मित करने से संबंधित विषय पर राज्य, जिला एंव प्रखण्ड स्तर पर प्रशिक्षकों, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, कर्मियों एवं जीविका समूह के सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया है। इसी प्रकार इसके तहत राज्य स्तर पर मास्टर प्रशिक्षकों का रिफ्रेशर प्रशिक्षण कराया गया है। 15 मार्च 2020 तक निर्वाचित प्रतिनिधियों/कर्मियों का जिला स्तरीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण कराया जाने की योजना है। संस्थानित अधोसंरचना ईकाई के तहत राज्य के 38 जिलों में जिला पंचायत संसाधन केन्द्र निर्मित करने हेतु आदेश निर्गत है। उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु सभी जिला परिषदों को भवन का मॉडल, मानक प्राकलन एवं राशि उपलब्ध करा दी गयी है। ग्राम पंचायातों की E- Enblement एवं IEC Activity हेतु प्रस्ताव विचाराधीन है। वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु वार्षिक कार्य योजना पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के अनुमोदन हेतु संसुचित है।

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में केन्द्रांश एवं राज्यांश मद में कुल ₹48552.00 लाख (चार अरब पिचासी करोड़ बावन लाख रूपये) मात्र की राशि का बजट उपबंध कराया गया है।

8. शक्तियों का प्रतिनिधायन एवं कार्यमान चित्रण

राज्य के उत्तरोत्तर विकास के लिए पंचायती राज विभाग के नियंत्रणाधीन कई योजनाओं, यथा चौदहवें वित्त आयोग एवं पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर प्राप्त राशि से ली गयी योजनाओं तथा मुख्यमंत्री निश्चय योजना इत्यादि का कार्यान्वयन पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है। पंचायती राज संस्थाओं द्वारा इन योजनाओं का कार्यान्वयन विभागीय संकल्प ज्ञापांक–9026 दिनांक 30.10.2017 के आलोक में विभाग द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों के अधीन किया जा रहा था। पुनः विभागीय संकल्प संख्या 4599 दिनांक 19.07.2019 द्वारा पंचायती राज विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी निधि से त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं द्वारा ली जानेवाली सभी योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने की शक्ति को प्रत्यायोजित किया गया है, जो निम्नवत् है :–

क्र0	पदाधिकारी का नाम	शक्ति स्वरूप	राशि सीमा
1	जिला पदाधिकारी	प्रशासनिक	बीस करोड़ रू0 तक
2	उप विकास आयुक्त	प्रशासनिक	एक करोड़ रू0 तक
3	प्रखंड विकास पदाधिकारी	प्रशासनिक	तीस लाख रू0 तक
4	ग्राम पंचायत	प्रशासनिक	बीस लाख रू0 तक
5	अधीक्षण अभियंता	तकनीकी	बीस करोड़ रू0 तक
6	कार्यपालक अभियंता	तकनीकी	एक करोड़ रू0 तक
7	सहायक अभियंता	तकनीकी	तीस लाख रू0 तक
8	कनीय अभियंता/तकनीकी सहायक	तकनीकी	बीस लाख रू0 तक

अद्यतन संशोधनों के अनुरूप ग्राम पंचायतों को प्रशासनिक स्वीकृति की सीमा ₹15.00 लाख रूपये से ₹20.00 लाख रूपये एवं कनीय अभियंता के समरूप योग्यताधारी विभागीय तकनीकी सहायकों की तकनीकी स्वीकृति की सीमा ₹15.00 लाख रूपये से ₹20.00 लाख रूपये बढ़ा दी गई है।

9. त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को भत्ता

संविधान के 73 वें संशोधन में निहित सत्ता के विकेन्द्रीकरण की मूल भावना को मूर्तरूप देने के उद्देश्य से प्रत्येक स्तर पर विकास कार्यो में जन सहभागिता प्राप्त करने के लिए,

त्रिस्तरीय पंचायतों को चरणबद्ध तरीके से शक्तियाँ एवं दायित्व सौंपे जा रहे हैं। फलस्वरूप त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों/जिला परिषद के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, पंचायत समिति के प्रमुख/उप प्रमुख, ग्राम पंचायत के मुखिया/उप मुखिया एवं ग्राम कचहरी के सरपंच/उप सरपंच के दायित्वों में भी अत्यधिक वृद्धि हुई है। साथ ही सभी सदस्यों को नियमित रूप से बैठक में भी भाग लेना होता है।

तद्नुसार विभागीय संकल्प ज्ञापांक 2517 दि० 05.05.2015 द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों (सदस्य)/जिला परिषद् के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, पंचायत समिति के प्रमुख/उप प्रमुख, ग्राम पंचायत के मुखिया/उप मुखिया एवं ग्राम कचहरी के सरपंच/उप सरपंच को पूर्व से स्वीकृत यथास्थिति नियत (प्रतिमाह) भत्ते, दैनिक भत्ता एवं विशेष मानदेय को विलोपित करते हुए वित्तीय वर्ष 2015–16 से 01.04.2015 के प्रभाव से समेकित नियत (प्रतिमाह) भत्ता की स्वीकृति दी गयी है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को मानदेय/भत्ता भुगतान हेतु कुल ₹35000.00 लाख (तीन अरब पचास करोड़ रूपये) मात्र की राशि का प्रावधान किया गया है।

10. नियमावलियों का गठन

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा–146 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंचायत राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी को सुदृढ़ करने हेतु अबतक निम्नलिखित नियमावलियाँ गठित की गई हैं :–

(i) बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006

(ii) बिहार जिला योजना समिति का गठन एवं कार्य संचालन नियमावली, 2006

(iii) बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवाशर्त्त एवं कर्त्तव्य) नियमावली, 2007

(iv) बिहार पंचायत निर्वाचन (संशोधन) नियमावली, 2007

(v) बिहार ग्राम कचहरी संचालन नियमावली, 2007

(vi) बिहार राज्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति एवं सेवाशर्त्त) नियमावली, 2008

(vii) बिहार ग्राम कचहरी सचिव (नियोजन, सेवाशर्त्त एवं कर्तव्य) (संशोधन) नियमावली, 2008

(viii) बिहार पंचायत सेवा नियमावली, 2010

(ix) बिहार ग्राम पंचायत (सचिव की नियुक्ति, अधिकार एवं कर्त्तव्य) नियमावली, 2011

(x) बिहार ग्राम सभा (बैठक के संयोजन एवं संचालन की प्रक्रिया) नियमावली, 2012

(xi) बिहार पंचायत (उप विधि एवं विनियम–निर्माण–प्रक्रिया) नियमावली, 2012

(xii) बिहार पंचायत (कार्यालय का निरीक्षण तथा कार्यकलापों की जाँच, पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन) नियमावली, 2014

(xiii) बिहार ग्राम कचहरी सचिव (नियोजन,सेवाशर्त एवं कर्त्तव्य) नियमावली, 2014

(xiv) बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवाशर्त्त एवं कर्तव्य) (संशोधन) नियमावली, 2015 (ग्राम कचहरी न्यायमित्र की सेवा पुनः ली गयी)

(xv) बिहार पंचायत राज संस्था (कार्य संचालन) नियमावली, 2015

(xvi) बिहार पंचायत निर्वाचन (संशोधन) नियमावली, 2016 (चुनाव खर्च की अधिसीमा निर्धारण से संबंधित)

(xvii) बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवाशर्त्त एवं कर्तव्य) (संशोधन) नियमावली, 2015 (नियत फीस ₹2500.00 से ₹7000.00 की गयी)

(xviii) बिहार पंचायत निर्वाचन (संशोधन) नियमावली, 2016 (आरक्षण निर्धारण किया गया)

(xix) बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवाशर्त्त एवं कर्तव्य) (संशोधन) नियमावली, 2016 (प्राप्तांक समान रहने की दशा में निर्णय लिया जाना)

(xx) बिहार वार्ड सभा तथा वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति कार्य संचालन नियमावली, 2017

(xxi) बिहार जिला योजना समिति का गठन एवं कार्य संचालन (संशोधन) नियमावली, 2017

(xxii) बिहार राज्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति एवं सेवाशर्त्त) (संशोधन) नियमावली, 2018

(xxiii) बिहार वार्ड सभा तथा वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति कार्य संचालन (संशोधन) नियमावली, 2019

(xxiv) बिहार राज्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति एवं सेवाशर्त) (संशोधन) नियमावली, 2019

(xxv) बिहार पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम 17, 2017)

11. प्रक्रियाधीन नियुक्तियाँ एवं पद सृजन

(क) विभाग में पंचायत सचिवों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग, पटना की अनुशंसा प्राप्त की जानी है। इसके लिए बिहार ग्राम पंचायत (सचिव की नियुक्ति, अधिकार एवं कर्त्तव्य) नियमावली, 2011 का गठन किया गया है। उक्त नियमावली के अंतर्गत जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार विभागीय पत्रांक 13 दिनांक 02.01.2013 एवं पत्रांक 939 दिनांक 21.02.2013 द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना एवं बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना को 3161 पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना भेजी गई है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना में पंचायत सचिवों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

(ख) पंचायत सचिव से प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के पद पर कुल स्वीकृत पद के 25% पदों को प्रोन्नति द्वारा भरा जाना अपेक्षित है। प्रोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के विरूद्ध प्रोन्नति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

(ग) बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में 45 (पैंतालीस) प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारियों की नियुक्ति की गयी है।

(घ) विभागीय पत्रांक–4298 दिनांक–03.08.2018 के द्वारा 133 (एक सौ तैंतीस) प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारियों के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा अयोजित 64वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल करने हेतु प्रेषित। उक्त रिक्तियों के विरूद्ध नियुक्ति की कार्रवाई आयोग के स्तर पर प्रक्रियाधीन है। पुनः विभागीय पत्रांक–3473 दिनांक–31.05.2019 के द्वारा 14 (चौदह) प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारियों के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा आयोजित 65वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल करने हेतु प्रेषित है।

(ङ) बिहार पंचायत सेवा का पुनर्गठन के फलस्वरूप प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के विभिन्न पद सोपान के पूर्व से सृजित पदों के अतिरिक्त 303 (तीन सौ तीन) यथा–प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी–188, व्याख्याता मुखिया सरपंच प्रशिक्षण संस्थान/जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान–58, अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद्–38 एवं प्राचार्य तथा सहायक निदेशक, मुखिया सरपंच प्रशिक्षण संस्थान/जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान/राज्य स्तरीय शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान–19 पदों का सृजन किया गया है।

(च) बिहार पंचायत सेवा के अंकेक्षण संवर्ग नियमावली, 2019 के गठन के फलस्वरूप बिहार पंचायत अंकेक्षण सेवा के अंकेक्षक (पंचायती राज) के 373, वरीय अंकेक्षण अधिकारी (पंचायती राज) के 174, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी (पंचायती राज) के 41 एवं मुख्य अंकेक्षण पदाधिकारी (पंचायती राज) के 01 अर्थात कुल–589 (पाँच सौ नवासी) पदों का सृजन किया गया है। उक्त पदों के सृजन के पश्चात् अंकेक्षण सेवा के अंकेक्षक (पंचायती राज) के कुल–371 (तीन सौ इकहत्तर) पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेजे जाने हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

(छ) विभाग के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए पंचायती राज विभाग क्षेत्रीय कार्यालय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2018 का गठन किया जा चुका है। तदनुसार पदों का सृजन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

12. सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का गठन दिनांक 15.06.2006 के प्रभाव से हुआ है। इस अधिनियम के तहत बिहार सरकार द्वारा सूचना का अधिकार नियमावली, 2006 गठित की गयी है जो 28.06.2006 से प्रभावी है।

इस अधिनियम एवं नियमावली के तहत पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के अधीन विभाग (मुख्यालय) एवं राज्य की त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं, यथा ग्राम पंचायत, पचांयत समिति एवं जिला परिषद् के लिए लोक सूचना पदाधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकार निम्नरूपेण पदनामित किए गए है :–

(1) <u>विभाग (मुख्यालय) स्तर पर</u> :–

(i) **लोक सूचना पदाधिकारी** – प्रशाखा पदाधिकारी

(ii) **सहायक लोक सूचना पदाधिकारी** – संबंधित प्रशाखा/कोषांग के प्रशाखा पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना

(iii) **प्रथम अपीलीय प्राधिकार** – विशेष सचिव

(2) **<u>जिला परिषद् स्तर पर</u>** :–

(i) लोक सूचना पदाधिकारी – निदेशक, लेखा प्रशासन–सह–अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्

(ii) प्रथम अपीलीय प्राधिकार – उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्

(3) **<u>पंचायत समिति स्तर पर</u>** :–

(i) लोक सूचना पदाधिकारी – संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी

(ii) प्रथम अपीलीय प्राधिकार – संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी

(4) **<u>ग्राम पंचायत स्तर पर</u>** :–

(i) लोक सूचना पदाधिकारी – संबंधित प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी

(ii) प्रथम अपीलीय प्राधिकार – संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी

13. बिहार लोक शिकायत अधिकार अधिनियम, 2015 से संबंधित वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2019–20 (मार्च 2019 से 18 फरवरी 2020 तक):

क्र0	आवेदनों का वर्गीकरण	प्राप्त आवेदन–पत्रों की कुल संख्या	कुल निष्पादित	शेष आवेदन पत्रों की संख्या
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	विभागीय स्तर पर सुनवाई हेतु	761	753	8
2	प्रथम अपील	12	11	1
3	द्वितीय अपील	49	40	9
4	अंतरण	2243	2243	0
5	निगेटिव	32	32	0
कुल योग :–		**3065**	**3047**	**18**

14. पंचायत सरकार भवन

पंचायत के क्रियाकलापों के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यकतानुसार कार्यालय भवन का होना आवश्यक है। इसके लिए पंचायत सरकार भवन का डिजाईन तैयार किया गया है। भवन में पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायत स्तर के कर्मियों के लिए स्थान, ग्राम कचहरी के न्यायालय कक्ष, अभिलेखों के संरक्षण के लिए स्थान, पंचायत स्टैंडिंग कमिटि के लिए हॉल, नागरिकों के लिए स्वागत कक्ष, कम्प्यूटराईज्ड सेवा प्रदान करने के लिए सेवा केन्द्र, स्टोर, पैन्ट्री एवं शौचालय आदि का प्रावधान किया गया है। इसका उपयोग बहुद्देशीय होगा। उपर्युक्त कार्यो के अतिरिक्त बाढ़ एवं अन्य आपदाओ में भी उसका उपयोग किया जा सकेगा।

राज्य सरकार द्वारा सभी पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से पंचायत सरकार भवन निर्माण करने का निर्णय लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2012–13 से 2013–14 में 1435 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण की स्वीकृति दिया गया है। 1435 पंचायत सरकार भवनों में अबतक 1115 पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य पूर्ण है। शेष अभी निर्माणधीन हैं। इस कार्य को पूर्ण कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2020–21 में राज्य स्कीम मद से मांग संख्या–35 के बजट शीर्ष में कुल ₹1500.00 लाख (एक अरब पचास करोड़) रूपये मात्र की राशि का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिकत बिहार पंचायत सुदृढ़ीकरण परियोजना के अन्तर्गत विश्व बैंक की सहायता से बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाईटी के द्वारा 330 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें से 271 का कार्य पूर्ण है। शेष अभी निर्माणाधीन है। अबतक ₹43707.29 लाख प्राप्त आवंटन में से ₹32950.61 लाख व्यय है।

विभागीय राज्यादेश संख्या 03(स्वी०) दिनांक 03.06.2019 द्वारा ग्राम पंचायतों के क्रियाकलापों के सफल क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 से 2020–21 तक प्रति पंचायत सरकार भवन ₹1,14,43,136.00 (एक करोड़ चौदह लाख तैंतालिस हजार एक सौ छत्तीस रूपये) मात्र की प्राक्कलित राशि की दर से राज्य में शेष बचे 6621 [8386-(1435+330)] पंचायतों में से कुल 1435 पंचायत सरकार भवन बनाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इन पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कार्य विभाग द्वारा नियुक्त हो रहे तकनीकी सहायकों के तकनीकी प्रवेक्षण में ग्राम पंचायत द्वारा कार्यान्वित कराया जायेगा। साथ ही स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के कनीय अभियंता/सहायक अभियंता /कार्यपालक अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता द्वारा तकनीकी प्रवेक्षण किया जायेगा। इस कार्य को पूर्ण कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 में राज्य स्कीम मद से माँग संख्या 16 के बजट शीर्ष में कुल ₹25000.00 लाख (दो अरब पचास करोड़ रूपये) मात्र की राशि का प्रावधान किया गया है।

15. अंकेक्षण

1. पंचायती राज विभाग द्वारा वर्ष 2017 में आंतरिक अंकेक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय वर्ष 2015–16, 2016–17 एवं 2017–18 का त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं तथा ग्राम कचहरी का अंकेक्षण कार्य हेतु योग्य चार्टर्ड एकाउन्टेंट फर्मों की नियुक्ति की गयी। वित्तीय वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 का अंकेक्षण कार्य पूर्ण हो चुका है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में अबतक 8127 ग्राम पंचायत, 8128 ग्राम कचहरी, 508 पंचायत समिति तथा 38

जिला परिषद तथा 23054 वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का अंकेक्षण कार्य पूर्ण हुआ है। विदित हो कि राज्य में कुल 8386 ग्राम पंचायत, 8386 ग्राम कचहरी, 534 पंचायत समिति, 38 जिला परिषद तथा 114691 वार्ड है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 का अंकेक्षण कार्य हेतु जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति को कार्यरत सी०ए० फर्मों का अवधि विस्तार का कार्य विभाग द्वारा जिलों को सौंपा गया है। अबतक 3039 ग्राम पंचायत, 3575 ग्राम कचहरी, 176 पंचायत समिति तथा 13 जिला परिषद तथा 9469 वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का अंकेक्षण कार्य पूर्ण हुआ है।

2. राज्य स्तर पर इन चार्टर्ड एकाउन्टेंट फर्मों के कार्यों की समीक्षा पर्यवेक्षण, जिला से प्राप्त प्रतिवेदन का राज्य पर समेकन, आपत्तियोगं का अनुपालन तथा अन्य अंकेक्षण से संबंधित कार्य हेतु विभाग द्वारा की State Level Audit and Financial Management Consultant की नियुक्ति हेतु RFP (Request For Proposal) जारी किया गया है। कुल 04 चार्टर्ड एकाउन्टेंट फर्मों से प्राप्त Technical Proposal का Evaluation किया जा रहा है। शीघ्र ही योग्य सी०ए० फर्म का चयन कर लिया जायेगा।

3. विभाग में प्राप्त अंकेक्षण उपरान्त निरीक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन हेतु जिला पंचायत राज पदाधिकारी के कार्यालय में विशेष अंकेक्षण अनुपालन कोषांग गठित कर प्रत्येक ग्राम पंचायत के संबंध में प्राप्त लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में उठायी गयी आपत्तियों/निदेशों का निस्तार एवं अनुपालन करने तथा दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई करने के संबंध में सभी जिलों को पत्र भेजा गया है।

16. उपलब्धि

(क) त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को पदासीन रहने के दौरान आपराधिक, प्राकृतिक आपदा/हिंसात्मक घटना/दुर्घटना से हुई मृत्यु की स्थिति में मृतक के आश्रित को ₹5.00 लाख (पाँच लाख रूपये) मात्र की अनुग्रह अनुदान की राशि दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

(ख) बिहार ग्राम कचहरी सचिव (नियोजन, सेवाशर्त्त एवं कर्तव्य) नियमावली, 2014 के नियम–8(1) के आलोक में ग्राम कचहरी सचिव को ₹6000.00 (छह हजार रूपये) मात्र की राशि प्रतिमाह नियत मानदेय के रूप में दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

(ग) बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवाशर्त्त एवं कर्तव्य) (संशोधन) नियमावली, 2015 के आलोक में ग्राम कचहरी न्यायमित्रों को ₹7000.00 (सात हजार रूपये) मात्र की राशि प्रतिमाह नियत मानदेय के रूप में दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

(घ) वित्तीय वर्ष 2019–20 में राज्य की ग्राम पंचायतों एवं ग्राम कचहरियों को प्रशासनिक व्यय एवं विविध मदों हेतु क्रमशः 10.00 करोड़ (दस करोड़ रूपये) मात्र एवं ₹731.80 लाख (सात करोड़ इक्कतीस लाख अस्सी हजार रूपये) मात्र की राशि उपलब्ध कराई गई है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 में राज्य की ग्राम पंचायतों एवं ग्राम कचहरियों को प्रशासनिक व्यय एवं विविध मदों हेतु क्रमशः ₹25.00 लाख (पच्चीस करोड़ रूपये) मात्र एवं ₹08.00 करोड़ (आठ करोड़ रूपये) मात्र की राशि उपलब्ध कराने का कार्यक्रम है।

(ड.) बिहार पंचायत निर्वाचन संशोधन नियमावली, 2016 द्वारा ग्राम पंचायत के सदस्य/पंच की दशा में ₹20000.00 (बीस हजार रूपये), पंचायत समिति के सदस्य की दशा में ₹30000.00 (तीस हजार रूपये), पंचायत के मुखिया एवं सरपंच की दशा में ₹40000.00 (चालीस हजार रूपये), जिला परिषद् के सदस्य की दशा में ₹100000.00 (एक लाख रूपये) से अधिक व्यय, ग्राम पंचायत से सदस्य/पंच, पंचायत समिति सदस्य, मुखिया तथा सरपंच और जिला परिषद् के सदस्य के किसी उम्मीदवार अथवा उनके अभिकर्ताओं द्वारा संबंधित निर्वाचन के संचालन एवं प्रबंधन पर उपगत नहीं किये जाने का प्रावधान किया गया है।

(च) विभागीय स्तर से योजना के गुणवत्तायुक्त क्रियान्वयन एवं दीर्घकालीन अनुश्रवण व्यवस्था हेतु विभिन्न दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं। विभाग स्तर पर कुल 2096 तकनीकी सहायक एवं 2096 लेखापाल–सह–आई०टी० सहायक के पदों के विरूद्ध क्रमशः 1567 एवं 1375 पदों पर नियोजन पूर्ण की गयी है। शेष रिक्त पदों पर नियोजन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

(छ) विभाग एवं जिला स्तर पर योजनाओं के निरिक्षण हेतु SPMU एवं DPMU का गठन किया गया है एवं उनके नियोजन प्रक्रियाधीन है।

(ज) **पंचायत पुरस्कार, 2019**:– 23 अक्टूबर, 2019 को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार समारोह के अवसर पर राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार, 2019 (मूल्यांकन आधार वर्ष 2017–18) हेतु पुरस्कृत ग्राम पंचायतों की सूची निम्नवत है:–

(a) दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार, 2019:–

1. जिला जहानाबाद के प्रखण्ड मखदुमपुर अंतर्गत **धरनई** ग्राम पंचायत
2. जिला सीतामढ़ी के प्रखण्ड सोनवर्षा अंतर्गत **सिंहवाहिनी** ग्राम पंचायत
3. जिला नालन्दा के प्रखण्ड नगरनौसा अंतर्गत **दामोदरपुर बलढ़ा** ग्राम पंचायत

(b) नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, 2019:–

1. जिला जहानाबाद के प्रखण्ड मखदुमपुर अंतर्गत **धरनई** ग्राम पंचायत

(c) बाल हितैसी ग्राम पंचायत पुरस्कार, 2019:–

1. जिला जहानाबाद के प्रखण्ड मखदुमपुर अंतर्गत **धरनई** ग्राम पंचायत

परिशिष्ट–1

राज्य – बिहार
विभाग – पंचायती राज विभाग

1	जिला परिषदों की कुल संख्या	38
2	पंचायत समितियों की कुल संख्या	534
3	ग्राम पंचायतों की कुल संख्या	8387
4	ग्राम कचहरियों की कुल संख्या	8387
5	ग्राम पंचायत सदस्यों की कुल संख्या	114691
6	ग्राम पंचायत के मुखिया की कुल संख्या	8387
7	पंचायत समिति के सदस्यों की कुल संख्या	11497
8	जिला परिषद के सदस्यों की कुल संख्या	1161
9	ग्राम कचहरी के पंचों की कुल संख्या	114691
10	ग्राम पंचायत के सरपंचों की कुल संख्या	8387
11	ग्राम पंचायत सचिव की कुल कार्यरत संख्या	3635
12	ग्राम पंचायत सचिव की कुल रिक्त संख्या	4751
13	ग्राम कचहरी न्याय मित्र की कुल संख्या	6947
14	ग्राम कचहरी सचिव की कुल संख्या	7474
15	जिला पंचायत राज पदाधिकारी की कुल संख्या	38
16	प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारियों की कुल संख्या	528

परिशिष्ट–2

राज्य स्कीम

क्र०	राज्य स्कीम का नाम	2020–21 में कर्णांकित राशि (लाख रुपये में)
मांग संख्या–16 (पंचायती राज विभाग)		
1	मुख्यमंत्री निश्चय योजना	₹100000.00
2	निर्वाचित प्रतिनिधियों को भत्ता	₹35000.00
3	पंचायत सरकार भवनों के निर्माण	₹48000.00
4	ग्राम पंचायतों के विविध मदों हेतु	₹2500.00
5	ग्राम कचहरी के विविध मदों हेतु	₹800.00
6	बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाईटी को अनुदान	₹2500.00
7	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान	₹48552.00
8	कम्प्यूटर ऑपरेटर का मानदेय	₹2500.00
9	अनुग्रह अनुदान	₹300.00
10	जिला पंचायत स्थापना	₹1000.00
11	**कुल (क्र०–1 से 10 तक)**	**₹241152.00 (चौबीस अरब ग्यारह करोड़ बावन लाख रुपये) मात्र**
मांग संख्या–35 (योजना एवं विकास विभाग)		
12	पंचायत सरकार भवन का निर्माण	₹2000.00
13	**कुल (क्र०–12)**	**₹2000.00 (बीस करोड़ रुपये) मात्र**
मांग संख्या–03 (भवन निर्माण विभाग)		
14	विभाग का आधुनिकीकरण	₹300.00
15	**कुल (क्र०–14 का)**	₹300.00 (तीन करोड़ रुपये) मात्र
16	**सकल कुल (क्र०–11+13+15) :–**	**₹243452.00 (चौबीस अरब चौंतीस करोड़ बावन लाख रुपये) मात्र**

परिशिष्ट–3

स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय

क्र०	मुख्यशीर्ष / कार्यक्रम	2020–21 में प्रावधानित राशि (लाख रुपये में)
मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम		
1.	स्थापना (मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय)	₹ 54649.83
2.	चौदहवाँ वित्त आयोग	₹ 501800.00
3.	राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में अंशदान	₹ 262622.00
मुख्य शीर्ष–2015–निर्वाचन		
4.	स्थापना (राज्य निर्वाचन आयोग)	₹ 363.91
5.	पंचायत निर्वाचन	₹ 750.00
मुख्य शीर्ष–3451 – सचिवालय आर्थिक सेवाएँ		
6.	स्थापना	₹ 182.91
कुल :–		**₹ 820368.65**
		बयासी अरब तीन करोड़ अड़सठ लाख पैंसठ हजार रूपये मात्र

वित्तीय वर्ष वर्ष 2020–21 हेतु मांग संख्या–16 का कुल योग (राज्य स्कीम + स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय)

₹243452.00 + ₹820368.65 = ₹1063820.65 लाख

(एक सौ छह अरब अड़तीस करोड़ बीस लाख पैंसठ हजार रूपये मात्र)

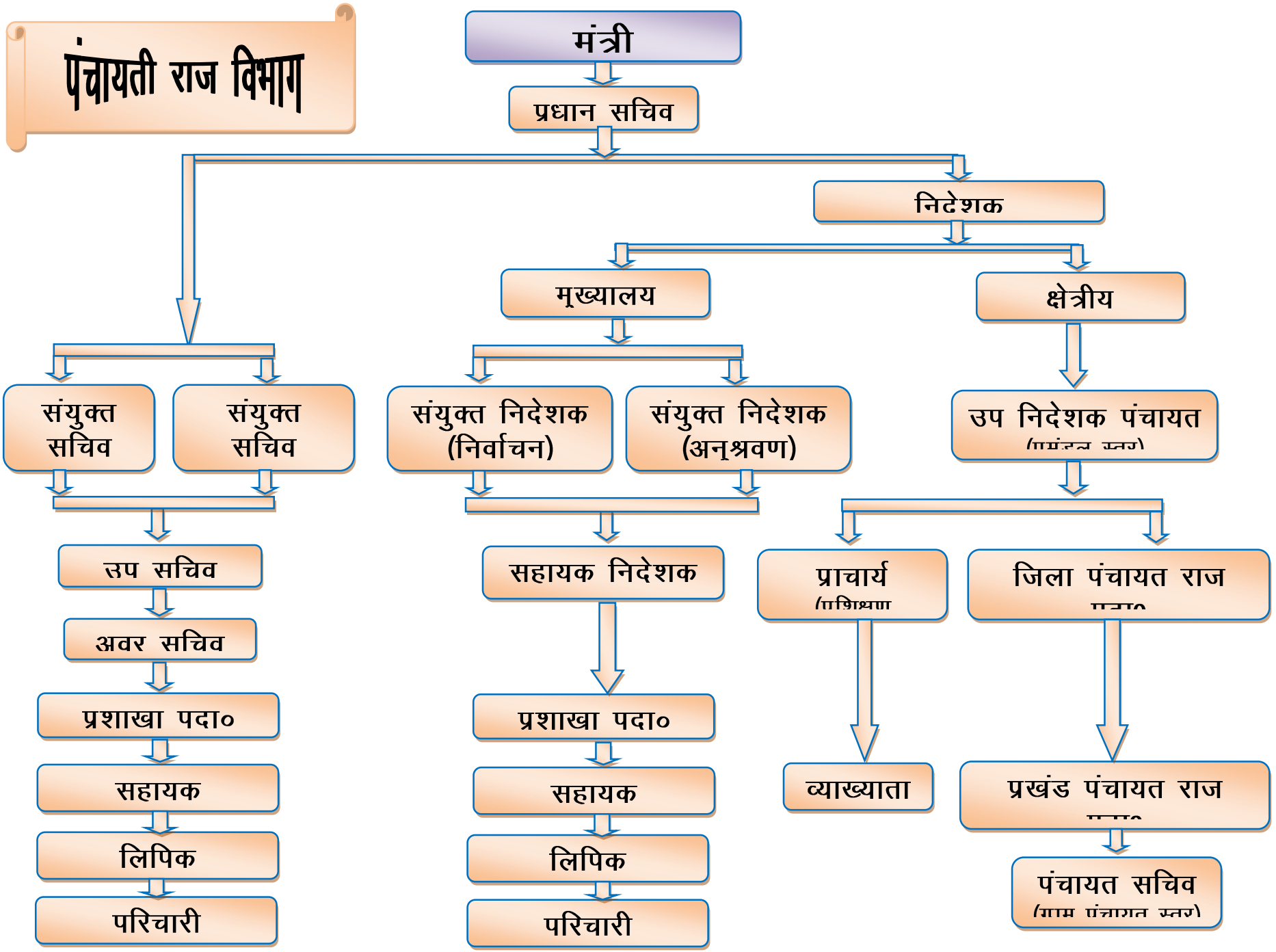
पंचायती राज विभाग
मंत्री
प्रधान सचिव
निदेशक
मुख्यालय
क्षेत्रीय
संयुक्त सचिव
संयुक्त सचिव
संयुक्त निदेशक (निर्वाचन)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)
उप निदेशक पंचायत
उप सचिव
अवर सचिव
प्रशाखा पदा०
सहायक
लिपिक
परिचारी
सहायक निदेशक
प्रशाखा पदा०
सहायक
लिपिक
परिचारी
प्राचार्य
व्याख्याता
जिला पंचायत राज
प्रखंड पंचायत राज
पंचायत सचिव

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

पदों की संरचना/संख्या (मुख्यालय)

क्र0	पद का नाम	स्वीकृत/ सृजित पद	कार्यरत बल	रिक्ति	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	प्रधान सचिव/सचिव	1	1	0	
2	निदेशक	1	1	0	
3	संयुक्त निदेशक–सह–संयुक्त सचिव/संयुक्त सचिव	1	1	0	
4	संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)/संयुक्त सचिव	1	1	0	
5	संयुक्त निदेशक (निर्वाचन)/संयुक्त सचिव	1	1	0	
6	उप सचिव	2	1	1	
7	अनुश्रवण पदाधिकारी	1	1	0	
8	सहायक निदेशक	1	0	1	
9	अवर सचिव	2	0	2	संविदा पर
10	उप राज्य आयोजक	1	0	1	
11	योजना पदाधिकारी	1	0	1	
12	वैज्ञानिक पद्धति विश्लेषक (कम्प्यूटर)	1	0	1	
13	शाखा आयोजक–सह–ग्रामीण विकास विशेषज्ञ	1	0	1	
14	विशेष कार्य पदाधिकारी	1	1	0	
15	प्रशाखा पदाधिकारी	11	7	4	
16	सहायक	44	15	28	
17	कम्प्यूटर प्रोग्रामर (6500–10500)(संविदा पर)	1	0	1	
18	प्रधान आप्त सचिव	1	0	0	
19	आप्त सचिव	1	2	0	
20	निजी सहायक	2	0	2	
21	आशुलिपिक	2	1	1	
22	सचिव के सचिव	1	0	1	
23	उच्चवर्गीय लिपिक	8	4	4	
24	निम्नवर्गीय लिपिक	12	2	10	
			3		क्षेत्रीय कार्यालय से तीन प्रतिनियुक्त।
25	लेखापाल	1	0	1	
26	रोकड़पाल	1	0	1	प्रतिनियुक्ति पर एक निम्नवर्गीय लिपिक कार्यरत।
27	प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी (मुख्यालय)	28	2	0	
28	प्रधान अनुदेशक	1	0	1	
29	कलाकार–सह–संगणक	1	0	1	
30	वाद्य अनुदेशक	1	0	1	
31	डाटा इन्ट्री ऑपरेटर (संविदा पर)	5	36		आउटसोर्सिंग/ बेल्ट्रॉन से संविदा पर नियोजन।
32	चालक	2	0	2	
			5		बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, पटना से पांच चालक की सेवा संविदा पर प्राप्त।

क्र0	पद का नाम	स्वीकृत/ सृजित पद	कार्यरत बल	रिक्ति	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
33	ट्रेजरी सरकार	1	0	1	
34	कार्यालय परिचारी	18	9	9	
35	आई०टी० ब्याय/गर्ल (संविदा पर)	-	13		आउटसोर्सिंग/ बेल्ट्रॉन से संविदा पर नियोजित।

नोट :– क्रमांक 31 पर अंकित डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के 5 पद स्वीकृत हैं जबकि कार्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बेल्ट्रॉन से संविदा पर सेवा प्राप्त 37 डाटा इन्ट्री ऑपरेटर कार्यरत हैं।

पंचायती राज संस्थाएँ

सशक्त

समावेशी

पारदर्शी

उत्तरदायी

पंचायती राज संस्थाएँ

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग